न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

II/निगरानी/सीधी/भू.रा/2018/1853

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–सीधी

रामकृष्णराम पुत्र श्री हरीहर राम तिवारी
निवासी–ग्राम खैरहा तहसील गोपदबनास जिला – सीधी (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1 अखिलेश कुमार पुत्र श्री अंजनी कुमार तिवारी
2 राममणिराम पुत्र श्री जनकधारी राम तिवारी
3 कुन्ती वेवा पत्नी दददी राम तिवारी
निवासीगण – ग्राम कोठार तहसील गोपदबनास जिला – सीधी (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास जिला सीधी द्वारा प्रकरण क्रमांक 118/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 04.01.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास का आदेश अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास द्वारा प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विधिवत् विचार किये बिना ही जो आदेश पारित किया है, वह नितान्त अवैध एवं अनुचित होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

3. यहकि, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.01.2017 में आदेशित किया है, कि वर्तमान प्रकरण में आवेदक को पक्षकार बनाये जाने का आवेदन स्वीकार किया जाता है। अपील बिना मूल आदेश के करने की अनुमति दी जाती है। प्रकरण में धारा 5 का निराकरण अंतिम आदेश में प्रकरण तर्क हेतु आगामी पेशी तक स्थगन जारी हो। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील की अनुमति दे दी है। और धारा 5 का आवेदन पत्र का निराकरण अंतिम आदेश के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(53)

अनुवृति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक II/R/सीधी/भू.रा./18/1853 रामकृपाल/अखिलेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
8/1/19	आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी गोपदबनास के प्रकरण क्रमांक 118/15-16/अपील में पारित आदेश दिनांक 04/01/17 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 23/4/19 को कलेक्टर जिला सीधी के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	